**कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**

**पत्रांक– 2715/11–सी–FP/UP/Road/35276/2018, लखनऊ, दिनांकः मई, 28, 2021**

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नौगढ से चकरघट्टा सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 7.50 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 6.75 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं0– FP/UP/Road/35276/2018

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–30/81–2–2020–800(85)/2019, दिनांक 11.06.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर के पत्रांक–1839/26–11, दिनांक 05.04.2021 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन ''परिवेश'' पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

**संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय
28/05
(संजय श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

**संख्या– 2715/11–सी–FP/UP/Road/35276/2018, दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर–वाराणसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र0प0), लो0नि0वि0, चन्दौली।

28/05
(संजय श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-419